नए समाज की ओर
Towards a new dawn

सत्यमेव जयते

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child Development, Government of India

‘नो विज़िटेशन’ और ‘अनफ़िट गार्डियन्स/पेरेंट्स’ की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बच्चों की पहचान

राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA), बाल कल्याण समिति (CWC), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) और बाल देखरेख संस्था (CCI) के सूचनार्थ

Identification of children having ‘No Visitation’ and ‘Unfit Guardians/Parents’

For information of SARA, CWC, DCPU, SAA and CCI

CARA Helpline No: 1800-11-1311
Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri) except gazetted holidays

carahdesk.wcd@nic.in

https://cara.wcd.gov.in

पृष्ठभूमि/ Background

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3), अनुच्छेद 39 के खंड (ङ) और (च), अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 47 में वास्तव में बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित कई प्रावधान हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकें और उन्हें उनके मानवाधिकार प्राप्त हो सकें। ये संवैधानिक प्रावधान सामूहिक रूप से बच्चों के समग्र विकास, कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी पर बल देते हैं।

Article 15(3), clauses (e) and (f) of Article 39, Article 45, and Article 47 of the Constitution of India indeed outline several provisions related to the welfare and protection of children, ensuring that their basic needs and human rights are met. These constitutional provisions collectively emphasize the State's responsibility to ensure the holistic development, well-being, and protection of children.

2. इसके अलावा, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (यथासंशोधित 2021) [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 (amended in 2021] में भी परिवार में बच्चों के अधिकारों की बात दोहराई गई है। इसका उल्लेख धारा 3 के अंतर्गत बच्चों के सामान्य सिद्धांतों में भी किया गया है, जैसे सहभागिता का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, पारिवारिक जिम्मेदारी का सिद्धांत तथा संस्थागत देखरेख को अंतिम उपाय मानने का सिद्धांत। अधिनियम की धारा 29 के अनुसार बाल कल्याण समिति (CWC) के पास 'देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों (CNCP)' की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटान करने का प्राधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा ऐसे बच्चों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और संरक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान है।

Further, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 (amended in 2021) reiterates the rights of a child to family vide principles of participation, best interest, family responsibility and institutionalisation as a measure of last resort. Section 29 of the JJ Act provides that Child Welfare Committee (CWC) shall have the authority to dispose of cases for the care, protection, treatment, development and rehabilitation of children in need of care and protection, as well as to provide for their basic needs and protection.

3. अधिनियम की धारा 39 में यह भी प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत बच्चों के पुनर्वास और समाज में उन्हें मिलाने की प्रक्रिया बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना (Individual Care Plan) पर आधारित होगी। यह मुख्यत: पारिवारिक देखरेख के माध्यम से होगी, जैसे बच्चों की परिवार या संरक्षक (guardian) के पास वापसी (restoration)। यह कार्य पर्यवेक्षण या प्रायोजन (sponsorship), या दत्तक-ग्रहण या फॉस्टर केयर (Foster Care) के साथ भी हो सकता है और उसके बिना भी।

Section 39 of the Act also provides that the process of rehabilitation and social integration of children under this Act shall be undertaken, based on the individual care plan of the child, preferably through family based care such as by restoration to family or guardian with or without supervision or sponsorship, or adoption or foster care:

> बशर्ते सहोदर (भाई-बहनों) को संस्थागत या गैर-संस्थागत देखरेख में एक-साथ रखने के सभी प्रयास तब तक किए जाएँगे, जब तक उन्हें एक-साथ रखा जाना उनके सर्वोत्तम हित में होगा।
>
> Provided that all efforts shall be made to keep siblings placed in institutional or non-institutional care, together, unless it is in their best interest not to be kept together.

4. दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 और मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइन्स (Model Foster Care Guidelines) में बच्चों के हितों को केंद्र में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है, जिससे 'देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों (CNCP)' को दत्तक-ग्रहण में दिया जा सके, फॉस्टर केयर (Foster Care) में दिया जा सके तथा फॉस्टर केयर (Foster Care) का बच्चा आगे फॉस्टर दत्तक-ग्रहण (Foster Adoption) में भी जा सके।

Adoption Regulations 2022 and Model Foster Care Guidelines provide systematic and child centric approach to place a child in need of care and protection in adoption, foster care as well as foster care leading to foster adoption.

5. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अदालती मामले W.P.C No.1003/2021 में दिनांक 20-11-2023 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को यह निर्देश दिया कि वे अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित श्रेणी के बच्चों की पहचान करने के लिए हर 2 महीने में अभियान चलाएँ। इसके साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि बाल देखरेख संस्थाओं (CCIs) में रहने के लिए विवश बच्चों की पहचान की जाए तथा उन बच्चों की भी पहचान की जाए जो इन संस्थानों तक पहुँचे ही नहीं हैं। न्यायालय ने सभी बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इन बच्चों को 5 श्रेणियों में बाँटा जा सकता है : अनाथ (Orphan), परित्यक्त (Abandoned), अभ्यर्पित (Surrendered), नो विज़िटेशन (No Visitation) और अनफ़िट गार्डियन्स (Unfit Guardian)।

Hon'ble Supreme Court of India in the matter of W.P.C No(s).1003/2021 on 20-11-2023 directed States/UTs to carry out identification drive every two months to identify children in the orphan, abandoned and surrendered(OAS) category and identify children languishing in Child Care Institutions (CCIs)*and those not reaching CCIs and ensure their registration online. The children may be classified into five categories, i.e. orphan, abandoned, surrendered, unfit guardian and children with no visitations.

6. ऐसे बच्चे जिनसे कोई मिलने नहीं आता (No Visitation) या जिनके माता-पिता/ संरक्षक (guardian) अनफ़िट हैं, उनका पता लगाने के लिए गहन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आमतौर पर इस कार्य के लिए विभिन्न हितधारकों (stakeholders) जैसे पुलिस (Police), बाल कल्याण समिति (CWC), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) और बाल देखरेख संस्था (CCI) के बीच सहयोग व समन्वय की ज़रूरत होती है।

Finding children who have no visitation or whose parents are unfit takes a thorough approach, which usually entails cooperation amongst several stakeholders such as the Police, CWC, DCPU, SAA, and CCI, among others.

7. ऐसी भी स्थिति हो सकती है, जब बच्चे की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए बच्चे के संरक्षक (guardian) को अयोग्य या अक्षम माना जाए। ऐसे में बाल कल्याण समिति (CWC) को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। सभी संबंधित हितधारक (stakeholders) बच्चों की पहचान करने के लिए बाल कल्याण समिति (CWC) की सहायता करेंगे। इस सहायता में कई प्रकार के कार्य शामिल हो सकते हैं, जैसे सामाजिक जाँच रिपोर्ट (SIR) तैयार करना, जैविक परिवार के साथ संपर्क करना, परामर्श (counselling) प्रदान करना तथा समिति (CWC) द्वारा दिया गया कोई अन्य कार्य करना।

There are situations where a child's guardian may be considered unfit or incapacitated to care for the child's safety and well-being and the CWC has to keep in mind all the above circumstances. The stakeholders concerned shall assist the CWC in identifying the children. This assistance may involve services like Social Investigation Report (SIR) preparation, following up with the biological family, counselling and any other duty that the CWC assigns.

8. इन परिस्थितियों में बच्चों की देखरेख के लिए वैकल्पिक व्यवस्था (alternative care) या अन्य उपायों की आवश्यकता हो सकती है ताकि उनकी सुरक्षा, उनका कल्याण और उचित पालन-पोषण सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे मामलों में, हालात का जायज़ा लेने में, सभी ज़रूरी कारकों पर विचार करने में तथा ऐसे निर्णय करने में बाल कल्याण समिति (CWC) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे बच्चों की सुरक्षा, खुशहाली और सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जा सके। इसके लिए देखरेख की वैकल्पिक व्यवस्था का पता लगाया जा सकता है, जैसे बच्चे को उपयुक्त फॉस्टर केयर परिवार में भेजना अथवा उसके दत्तक-ग्रहण को आगे बढ़ाना, यदि यह बच्चे के विकास और उसके भविष्य की संभावनाओं के लिए लाभदायक हो।

Children under these circumstances may require alternative care arrangements or interventions to ensure their safety, well-being, and proper upbringing. In such cases, the CWC plays a critical role in evaluating the situation, considering all relevant factors, and taking decisions that prioritize the safety, well-being, and best interests of the children. This may involve determining alternative care arrangements, such as placing the child in a suitable foster care family or facilitating adoption if deemed appropriate and beneficial for the child's development and future prospects.

9. इस पूरी प्रक्रिया में परामर्श (counselling) प्रदान करने की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे माता-पिता या संरक्षकों (guardian) को स्थिति को समझने में, उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने में तथा बच्चे के कल्याण हेतु लिए गए निर्णयों की जानकारी देने में मदद मिलती है। इस प्रकार संबंधित माता-पिता/ संरक्षक (guardian) को और बाल देखरेख संस्थाओं (CCIs) में रहने वाले बड़े बच्चों को भी अनिवार्य रूप से परामर्श (counselling) प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें फॉस्टर केयर और दत्तक-ग्रहण जैसी वैकल्पिक देखरेख (alternative care) के लिए तैयार किया जा सके।

In the entire exercise, counselling serves as a crucial support mechanism, helping parents or guardians understand the situation, explore available options, and make informed decisions regarding the child's welfare. Thus counselling has to be mandatorily provided to parent/guardian concerned and also to older children residing in CCIs to prepare them for alternative care like foster care and adoption.

बच्चों का व्यापक वर्गीकरण / Broad classification of children

10. बच्चों की पाँच श्रेणियाँ जहाँ उन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है, जो उनके परिवार और संरक्षक की व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, नीचे बताई गई हैं:

The five categories of children where they may find themselves in need of care and protection affecting their family dynamics or guardianship arrangements are stated below:

a) 'अनाथ (Orphan)' से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है : (i) जिसके जैविक या दत्तक माता-पिता या विधिक संरक्षक नहीं है; या (ii) जिसके विधिक संरक्षक उसकी देखरेख करने के इच्छुक नहीं हैं, या देखरेख करने में सक्षम नहीं है। [धारा 2 (42) *]

   'Orphan' means a child – (i) who is without biological or adoptive parents or legal guardian; or (ii) whose legal guardian is not willing to take, or capable of taking care of the child; [Section 2(42) *]

b) 'परित्यक्त (Abandoned) बालक' से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है जिसे उसके जैविक या दत्तक माता-पिता या संरक्षक द्वारा छोड़ दिया गया है तथा उचित जाँच के बाद समिति (बाल कल्याण समिति) द्वारा उसे परित्यक्त घोषित किया गया है। [धारा 2 (1) *]

‘Abandoned Child’ means a child deserted by his biological or adoptive parents or guardians, who has been declared as abandoned by the Committee (Child Welfare Committee) after due inquiry; [Section 2(1) *]

c) ‘अभ्यर्पित (Surrendered) बच्चा’ - वह बच्चा, जिसे माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों, जो उनके नियंत्रण से परे हैं, के कारण समिति (बाल कल्याण समिति) को त्याग दिया गया है तथा समिति (बाल कल्याण समिति) द्वारा उस रूप में उसे ऐसा घोषित किया गया है। [धारा 2 (60) *]

‘Surrendered Child’ means a child, who is relinquished by the parent or guardian to the Committee (Child Welfare Committee), on account of physical, emotional, and social factors beyond their control, and declared as such by the Committee (Child Welfare Committee); [Section 2(60) *]

d) ‘नो विज़िटेशन (No Visitation)’ से अभिप्राय ऐसे बच्चे से है जिसके संरक्षक (guardian) नहीं हैं तथा वह बच्चा जिससे उसके संरक्षकों का कई वर्षो से संपर्क नहीं हुआ है [नियम 17 (x) **]

‘No Visitation’ – Children are having no guardian and those who are not in contact with their guardians for several years [Rule 17 (x) **].

e) अनफ़िट गार्डियन्स की श्रेणी में आने वाले बच्चे –

“Children having Unfit Guardian”-

(i) जो मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है या वह किसी घातक या असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता-पिता या संरक्षक (guardian) उसकी देखभाल करने के लिए अयोग्य एवं अक्षम हैं, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाता है [धारा 2(14) (iv)*];

who is mentally ill or mentally or physically challenged or suffering from terminal or incurable disease, having no one to support or look after or having parents or guardians unfit to take care, if found so by the Board or the Committee [Section 2(14) (iv)*];

(ii) जिसके माता-पिता या संरक्षक (guardian) तो हैं परंतु बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और कल्याण के लिए समिति या बोर्ड द्वारा उन्हें अयोग्य या अक्षम पाया जाता है [धारा 2(14)(v)*];

who has a parent or guardian and such parent or guardian is found to be unfit or incapacitated, by the Committee or the Board, to care for and protect the safety and well-being of the child [Section [2(14) (v)*];

(iii) अनफ़िट गार्डियन्स की श्रेणी में आने वाले बच्चे’ से अभिप्राय ऐसे बच्चे से है जिसके माता-पिता या संरक्षक (guardian) बच्चे का पालन-पोषण और देखभाल करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, वे मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करते हैं, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या उनकी उपेक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिन्हें अपनी स्वयं की देखभाल की आवश्यकता है , जो मानसिक रूप से अक्षम हैं आदि। ऐसे सभी माता-पिता के बच्चों को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा।

"children having unfit guardian" means whose parent or guardian is unable or unwilling for parenting, unable or unwilling to take care of the child and severe cases of substance abuse, known to have abused or neglected the child, having criminal record, in need of care themselves, mentally unsound etc. Children of all such parents shall be classified under this category.

* किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (यथासंशोधित 2021)
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (as amended in 2021)

** किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम, 2022
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2022

नो विज़िटेशन' की श्रेणी में बच्चों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
Procedure to be followed in case of Children with No Visitation

11. ऐसे बच्चों से जुड़े जटिल मुद्दों के निवारण के लिए जिस समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, वह इसकी प्रक्रिया में निहित है। यह संदर्भ विशेष, क्षेत्राधिकार और कानूनी ढांचे पर निर्भर है। बच्चे के सर्वोत्तम हित और उसकी खुशहाली के आकलन, हस्तक्षेप, सहायता एवं एडवोकेसी को विभिन्न चरणों में प्राथमिकता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है :

A holistic approach addressing the complex issues surrounding such children is reflected in the procedure, which is contingent upon the particular context, jurisdiction, and legal frameworks in place. Assessment, intervention, support, and advocacy for the child's best interests and well-being are prioritised in all the steps mentioned below:-

a) बाल देखरेख संस्थाओं (CCIs) के केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी नो विज़िटेशन के संभावित मामलों की सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और बाल कल्याण समिति (CWC) को देंगे। यह सूचना व्यक्तिगत देखरेख योजना (ICP) के माध्यम से नवीनतम स्थिति के साथ दी जाएगी।

   Case workers or child welfare officers at Child Care Institutions (CCIs) shall report potential cases of no visitation to the District Child Protection Unit (DCPU) and CWC through Individual Care Plans (ICPs) with updated status.

b) यदि एक वर्ष से अधिक समय से बच्चे से मिलने कोई नहीं आता है (no visitation) तो यह चिंताजनक स्थिति है तथा उसकी बारीकी से जाँच करके यह पता लगाए जाने की ज़रूरत है कि बच्चे के हितों की अनदेखी तो नहीं हो रही ।

   Lack of visitation for one year raises concerns and it requires closer scrutiny to determine if the child's welfare is being compromised.

c) बाल कल्याण समिति (CWC) बच्चे के परिवार की परिस्थिति का जायज़ा लेने तथा बच्चे से मिलने न आने के कारणों का पता लगाएगी। इसके लिए वह केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी को निर्देश देगी। इस आकलन के आधार पर यदि संभव होगा तो बच्चे को परिवार से मिलाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएँगे ।

   The Child Welfare Committee (CWC) initiates an assessment by instructing case workers or child welfare officers to evaluate the family's circumstances and reasons for the lack of visitation and accordingly, interventions may be provided to facilitate reunification if possible.

d) बाल कल्याण समिति (CWC) ऐसे बच्चों की कानूनी स्थिति तय करेगी। यह कार्य केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की गई सामाजिक जाँच रिपोर्ट (SIR-फॉर्म 22), व्यक्तिगत देखरेख योजना (ICP-फॉर्म 7) तथा बच्चे के मामले की पिछली जानकारी (Case History-फॉर्म 43) जैसे आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार किया जाएगा।

The CWC decides the legal status of such children based on necessary documents like Social Investigation Report (SIR- Form 22), Individual Care Plan (ICP- Form 7), and the child's case history (Form 43) prepared by case workers or child welfare officers.

e) बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा कोई निर्णय करने से पहले विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है जैसे बच्चे की आयु, जैविक या विस्तारित परिवार (extended family) द्वारा विश्वासपूर्ण रिश्ता (healthy relationship) बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास, वैकल्पिक देखरेख (alternative care) के लिए जैविक माता–पिता या संरक्षक (guardian) की सहमति तथा भावी फॉस्टर परिवार की उपलब्धता।

The CWC considers various factors such as the child's age, efforts of the biological or extended family to maintain a healthy relationship, consent of the biological parent or guardian for alternate care, and availability of prospective foster families before making any decision.

f) बाल देखरेख संस्था (CCI) और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा माता–पिता या संरक्षक (guardian) को बच्चे से मिलने के लिए प्रेरित किया जाए, ज़रूरी रिकॉर्ड रखे जाए, जैविक माता-पिता या संरक्षक (guardian) को यह जानकारी दी जाए कि यदि बच्चा लंबे समय तक संस्था में रहता है तो उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं ? माता- पिता या संरक्षक (guardian) को तथा बड़े बच्चों को परामर्श सेवा (counselling services) दी जाए ताकि लिए गए निर्णयों की जानकारी भी दी जा सके। इनमें बच्चों को परिवार में दोबारा मिलाना या फॉस्टर केयर एवं दत्तक-ग्रहण के माध्यम से उन्हें वैकल्पिक पारिवारिक देखरेख (alternative family care) प्रदान करना शामिल है।

CCIs and DCPU encourage visitation of parent(s) or guardian, keep pertinent records, and educate biological parents or guardians about the negative effects of long-term institutionalisation on the child; offer counselling services to parents or guardians and older children to enable them to take informed decisions which may include family reunification or alternate family care through foster care and adoption.

g) बाल देखरेख संस्थाओं (CCIs) द्वारा नो विज़िटेशन के अंतर्गत आने वाले बच्चों का विवरण संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को दिया जाए ताकि CARINGS पोर्टल पर उनका पंजीकरण किया जा सके, उनका सही रिकॉर्ड रखा जा सके और उनकी मॉनीटरिंग की जा सके।

CCIs shall provide details of children under no visitation category to the concerned DCPU for registration on the designated portal for maintaining accurate records and monitoring.

h) बाल कल्याण समिति (CWC) केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्थिति रिपोर्टों (status reports) के आधार पर अनिवार्य रूप से तिमाही समीक्षा करेगी ताकि इन मामलों में हुई प्रगति का तथा शीघ्र गैर-संस्थाकरण किए जाने की समीक्षा की जा सके।

The CWC conducts mandatory quarterly reviews based on status reports prepared by case workers or child welfare officers to assess progress and for their early deinstitutionalisation.

अनफ़िट गार्डियन्स / पेरेंट की श्रेणी में बच्चों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
Procedure to be followed in case of Children having Unfit Guardian/ Parent

12. ऐसे बच्चों की पहचान करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे की कानूनी स्थिति क्या है, माता–पिता / संरक्षक (guardian) के स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड के साथ संपर्क व समन्वय किया जाए, बच्चे की परिवार में वापसी किया जाना तथा गैर-संस्थाकरण देखरेख के लिए समय–समय पर नियमित समीक्षा करना। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है :

The following process may be adhered to identify children with unfit guardians, with a focus on determining the child's legal status, coordinating with medical boards for assessments of the parent's/guardian's fitness, restoring the child, and conducting routine reviews for deinstitutionalisation:-

a) यदि बच्चे के जैविक माता–पिता / संरक्षक (guardian), जो लागू हो, मानसिक रूप से निःशक्त हैं या मानसिक रूप से बीमार हैं, तो विशिष्ट दत्तक-ग्रहण संस्था (SAA) या बाल देखरेख संस्था (CCI) द्वारा मेडिकल बोर्ड से संपर्क किया जाएगा ताकि जैविक माता–पिता / संरक्षक (guardian) को उनकी बीमारी की गंभीरता के आधार पर अयोग्य/अक्षम (unfit) घोषित किए जाने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सके।

   If the child's biological parents/ guardians (wherever applicable) are mentally challenged or mentally ill, the Specialised Adoption Agency (SAA) or Child Care Institution (CCI) shall coordinate with the medical board to obtain a certificate declaring the biological parent/guardian unfit based on the severity of the disease.

b) बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को निदेश दिया जाएगा:- मेडिकल बोर्ड के साथ संपर्क व समन्वय करने के लिए, जैविक परिवार और बड़े बच्चों को परामर्श (counselling) प्रदान करने के लिए; तथा अन्य कोई ऐसा कार्य करने के लिए, जिसे समिति उपयुक्त समझे।

   The CWC directs the District Child Protection Unit (DCPU) to facilitate coordination with the medical board, counselling of the biological family and older children, and any other tasks deemed appropriate by the Committee.

c) बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा जैविक माता–पिता / संरक्षक (guardian) के बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचना एकत्र की जाएगी ताकि उन्हें संबंधित कारणों से अयोग्य/ अक्षम (unfit) घोषित किया जा सके। ये कारण हो सकते हैं :- बच्चे के साथ उनका दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा, उनका आपराधिक रिकॉर्ड, बच्चे की देखरेख में उनकी असमर्थता या अनिच्छा तथा उनके द्वारा मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन।

   The CWC gathers pertinent information pertaining to the biological parent/ guardian through different means to declare them unfit for reasons, i.e. abuse and neglect of the child, having a criminal record, unable or unwilling to take care of the child and severe cases of substance abuse.

d) यदि जैविक माता–पिता में से कोई एक अयोग्य/ अक्षम (unfit) पाया जाए तो बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे को परिवार से मिला दिया जाए तथा परिवार को बनाए रखने का प्रयास किया जाए।

   The CWC ensures reunification and family preservation efforts if one of the biological parents is found unfit.

e) बाल देखरेख संस्था (CCI) और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा माता–पिता / संरक्षक (guardian) को परामर्श (counselling) सेवा प्रदान की जाए ताकि वे बच्चे के पुनर्वास (rehabilitation) के लिए बच्चे का अभ्यर्पण (surrender) कर सकें। साथ ही बड़े बच्चे को भी परामर्श (counselling) सेवा प्रदान करें ताकि उसे फॉस्टर केयर और दत्तक-ग्रहण के माध्यम से वैकल्पिक पारिवारिक देखरेख (alternative family care) के लिए तैयार किया जा सके।

   CCIs and DCPU offer counselling services to parents or guardians to surrender the child for rehabilitation and simultaneously counsel older children to prepare them for alternate family care through foster care and adoption.

f) बाल कल्याण समिति (CWC) ऐसे बच्चों की कानूनी स्थिति तय करेगी। यह कार्य केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की गई सामाजिक जाँच रिपोर्ट (SIR - फॉर्म 22), व्यक्तिगत देखरेख योजना (ICP - फॉर्म 7) तथा बच्चे के मामले की पिछली जानकारी (Case History - फॉर्म 43) जैसे आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार किया जाएगा।

   The CWC decides the legal status of such children based on necessary documents like Social Investigation Report (SIR- Form 22), Individual Care Plan (ICP- Form 7), and the child's case history (Form 43) prepared by case workers or child welfare officers.

g) बाल देखरेख संस्थाओं (CCIs) द्वारा अनफ़िट गार्डियन्स/ पेरेंट्स की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बच्चों का विवरण संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को दिया जाए ताकि CARINGS पोर्टल पर उनका पंजीकरण किया जा सके, उनका सही रिकॉर्ड रखा जा सके और उनकी मॉनीटरिंग की जा सके।

   CCIs shall provide details of children under unfit parent/guardian category to the concerned DCPU for registration on the designated portal for maintaining accurate records and monitoring.

h) बाल कल्याण समिति (CWC) केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की गई स्थिति रिपोर्टों (status reports) के आधार पर अनिवार्य रूप से तिमाही समीक्षा करेगी ताकि इन मामलों में हुई प्रगति का तथा शीघ्र गैर –संस्थाकरण किए जाने की समीक्षा की जा सके।

   The CWC conducts mandatory quarterly reviews based on status reports prepared by case workers or child welfare officers to assess progress and for their early deinstitutionalisation.

* किशोर न्याय अधिनियम 2015 (यथासंशोधित 2021 की धारा 2(21) के अनुसार बाल देखरेख संस्था से अभिप्राय विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) से भी है।

* Child Care Institution (CCI) also means Specialised Adoption Agency as mentioned in section 2(21) of the JJ Act 2015, (amended in 2021)

मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम (MHCA), 2017 की धारा 2 (1) (s) में परिभाषित किया गया है- "मानसिक रुग्णता से चिंतन, मनःस्थिति, अनुभूति, अभिविन्यास या स्मृति का ऐसा पर्याप्त विकार अभिप्रेत है, जिससे निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता, एल्कोहल और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से सहबद्ध मानसिक दशा अत्यधिक क्षीण हो जाती है किंतु इसके अंतर्गत ऐसी मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति के चित्त के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की ऐसी दशा है जिसे विशेष रूप से बुद्धिमत्ता की अवसामान्यता के रूप में वर्णित किया जाता है"।

Section 2(1)(s) of the Mental Healthcare Act (MHCA) 2017 defines – "Mental illness as substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, mental conditions associated with the abuse of alcohol and drugs but does not include mental retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by sub normality of intelligence".

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (यथासंशोधित 2021) की धारा 38 (3) के अनुसार "मंदबुद्धि माता-पिता के बच्चे या यौन-उत्पीड़न के शिकार अवांछित बच्चे के संबंध में किसी अन्य विधि में शामिल किसी बात के होते हुए भी, ऐसे बच्चे को समिति द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन करते हुए दत्तक-ग्रहण के लिए मुक्त घोषित किया जा सकेगा"।

Section 38(3) of the JJ Act, 2015 (amended in 2021) provides that "Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force a child of a mentally retarded parents or a unwanted child of victim of sexual assault, such child may be declared free for adoption by the Committee, by following the procedure under this Act".

दत्तक–ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 6 (18) के अनुसार "बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा मानसिक बीमारी या बौद्धिक अक्षमता वाले माता-पिता के बालक को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में स्थापित कानूनों के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से माता-पिता की मानसिक दिव्यांगता को दर्शाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी"।

Regulation 6(18) of Adoption Regulations 2022 provides that "The procedure for declaring a child of parents with mental illness or intellectual disability as legally free for adoption by the Child Welfare Committee shall be done on the basis of a certificate reflecting mental disability of the parents from the medical board constituted by the Central Government or the State Government, as the case may be, as per the laws established by the Government of India, with respect to the same".

CARA

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत)
West block - 8, Wing - 2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi - 110066 (India)
कारा हेल्पलाइन नंबर /CARA Helpline No. : 1800-111-311 (टोल फ्री/Toll Free)
[सोमवार से शुक्रवार प्रात : 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]
[Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays]
ई /मेल -E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट /Website: https://cara.wcd.gov.in,
CARINGS : https://carings.wcd.gov.in

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय)
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)

सत्यमेव जयते

CARA

सं./No. E.96181/CARA-EA043/9/2021

Azadi Ka Amrit Mahotsav

दिनांक/Date 15-04-2024....

कार्यालय ज्ञापन
OFFICE MEMORANDUM

यह दिनांक 28-03-2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में है । केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर बच्चों के पंजीकरण को निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया गया है:

This is in continuation to the Office Memorandum of even number dated 28-03-2024. The registration of children on CARINGS portal has been modified with the following provisions:

a) बच्चों को केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर पाँच श्रेणियों (अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित, नो विज़िटेशन और अनफ़िट माता-पिता/संरक्षक) में पंजीकृत किया जाएगा।
The children will be registered on CARINGS portal in FIVE categories (Orphan, Abandoned, Surrendered, No Visitation, Unfit Guardians).

b) सभी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चों को आमतौर पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित 2021) और दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत दत्तक-ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया जाता है। ये बच्चे दत्तक-ग्रहण के पात्र हैं अथवा नहीं, इसका निर्णय बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा उन्हें 'दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त (LFA)' घोषित करने के अनुसार किया जाएगा।
All Orphan, Abandoned or Surrendered children are generally rehabilitated through adoption as per the provisions of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (as amended in 2021) and Adoption Regulations, 2022. Their adoptability in terms of 'Legally Free for Adoption (LFA)', will be ascertained by Child Welfare Committee (CWC).

c) जहां तक 'नो विज़िटेशन' और 'अनफ़िट गार्डियन्स' की श्रेणी के तहत पंजीकृत बच्चों का संबंध है, तो वे मुख्य रूप से 'फॉस्टर केयर' के लिए संभावित मामले होंगे जिनके लिए केयरिंग्स (CARINGS) पोर्टल पर प्रावधान किया गया है । इस प्रकार के बच्चों को जब एक बार विधिक रूप से मुक्त (LFA) घोषित कर दिया जाता है, तो उनका स्थायी पुनर्वास दत्तक-ग्रहण के माध्यम से किया जाता है ।
As far as children registered under the category of 'No Visitation' and 'Unfit Guardians' are concerned, they will primarily be potential cases for 'foster care' as provisioned on CARINGS portal. Once such children are declared legally free, their permanent rehabilitation can be facilitated through adoption.

d) यदि उपरोक्त पाँच श्रेणियों के तहत बच्चों का कोई दावेदार नहीं पाया जाता है, तो बच्चों को 'दत्तक-ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त (LFA)' घोषित करने की प्रक्रिया संबंधित बाल कल्याण समिति (CWC) के माध्यम से शीघ्रता से पूरी की जाएगी ।
In cases where children under FIVE categories are found to have no claimants, the process for 'Legally Free for Adoption (LFA)' may be completed expeditiously through the Child Welfare Committee (CWC) concerned.

Contd...2/-

e) यदि ऐसा प्रतीत हो कि इन पाँच श्रेणियों के तहत बच्चे का श्रेणी-निर्धारण और पंजीकरण करने में समय लगेगा, तो उस परिस्थिति में बच्चे को 'अन्य (OTHER)' श्रेणी में पंजीकृत किया जा सकता है। तत्पश्चात, संबंधित बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा मूल्यांकन के आधार पर, बच्चे की सही स्थिति निर्धारित की जा सकती है और बच्चे को 'अन्य (OTHER)' श्रेणी से उपरोक्त पाँच श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता है (दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 के अध्याय V को देखें)। तदनुसार, जिला स्तर के अधिकारी नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार **बच्चे की श्रेणी** बदल सकते हैं:

The moment it is realised that it will take time to register the child in five categories; the child may be registered in the category of 'OTHER'. Further, based on the assessment by the concerned Child Welfare Committee (CWC) (refer Chapter V of JJ Model Rules 2022), the exact status of the child may be determined and child may be shifted from OTHER category to any of the five categories. Accordingly, the district authorities can change the **category of child**, as per the procedure given below :

DCPU द्वारा पंजीकृत बच्चों के लिए प्रक्रिया :

Procedure for children registered by DCPU :

DCPU Portal → Child Care Institution (CCI) Information → Registered Children Details → Details of Registered CCI Children (for updation)

SAA द्वारा पंजीकृत बच्चों के लिए प्रक्रिया :

Procedure for children registered by SAA :

SAA Portal → Children Registration → Children Updation Details → Children Updation Details (for updation)

2) यदि CARINGS पोर्टल पर बच्चों की पंजीकरण-प्रक्रिया के दौरान कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे CARA के संज्ञान में लाएँ तथा स्क्रीनशॉट के साथ ई-मेल carahdesk.wcd@nic.in पर भेजें। संदर्भ के लिए बच्चों की पाँच श्रेणियों की परिभाषाएँ संलग्न हैं ।

If any technical issue arises during the registration process of children on CARINGS portal, the same may be brought into the notice of CARA through email with screen shot to carahdesk.wcd@nic.in . The definitions of five categories of children are enclosed for reference.

3) कृपया यह सुनिश्चित करें कि जो बच्चा पोर्टल पर पहले से पंजीकृत है, उसका दोबारा पंजीकरण न किया जाए ।
Please ensure that a child, who is already registered on CARINGS Portal, should not be registered again.

(डॉ. जगन्नाथ पति)
(Dr. Jagannath Pati)
निदेशक (कार्यक्रम)
Director (Programme)

संलग्न: ऊपर वर्णित
Enclosed: As above.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सभी नोडल अधिकारी/ All Nodal Officers at State/UT level
2. राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण/ State Adoption Resource Agencies (SARAs)
3. जिला बाल संरक्षण इकाई/ District Child Protection Units (DCPUs)
4. विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण/ Specialised Adoption Agencies (SAAs)
5. बाल देखरेख संस्था/ Child Care Institutions (CCIs)